बेगम साहिबा सुल्तान

बनाम

नवाब मोहम्मद मंसूर अली खान और अन्य

12 अप्रैल, 2007

[तरूण चटर्जी और पी. के. बालासुब्रमण्यन, न्यायमुर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश 07 नियम 10, धारा 16 और 20

विभाजन के लिए वाद-संपत्ति विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। निचली अदालत ने उपयुक्त अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में दायर करने के लिए वादी को वादपत्र वापस करते हुए -उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर, अभिनिर्धारित-आदेश VII नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रावधानों के संदर्भ में वादपत्र की वापसी पर विचार करने का चरण, वादपत्र और उसमें दिए गए अभिकथन को देखा जाना चाहिए-वादी के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए वाद को सार्थक तरीके से पढ़ना भी आवश्यक है-विचाराधीन मुकदमा अनिवार्य रूप से गुडगांव के एक गाँव में स्थित संपत्तियों के संबंध में विभाजन की राहत और घोषणा के लिए है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है-इसके अलावा, वादी द्वारा मांगी गई नकारात्मक घोषणा पूरी तरह से जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक प्रतीत होती है-तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, वर्तमान वाद को संहिता की धारा 16 के परंतुक के दायरे में नहीं लाया जा सका या संहिता की धारा 20 पर इस आधार पर विचार नहीं किया जा सका कि पांच में से तीन प्रतिवादी दिल्ली में स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रह रहे हैं।

अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि उसकी माता के द्वारा की गयी मौखिक वसीयत जो कभी नहीं की गयी थी उसकी घोषणा और प्रतिवादी नं. 02 के द्वारा प्रतिवादी नं. 04 व 05 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को प्रश्नगत सम्पितयों के संबंध में शून्य घोषित करने एवं मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अनुसार विभाजन की डिक्री जारी की जावे। प्रश्नगत सम्पितयां जिसमें मुकदमा स्थापित किया गया था गुडगांव हरियाणा, दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि विचाराधीन संपितयां दिल्ली में स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, दिल्ली के न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसिलए, उन्होंने वादपत्र को अपीलार्थी को वापस करने का निर्देश दिया तािक उसे उस न्यायालय में पेश किया जा सके जो विचाराधीन संपितयों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। पीड़ित, अपीलार्थी ने एक अपील दायर की। इस तरह उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वर्तमान अपील को खारिज कर दिया था।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वाद पत्र में सारवान प्रार्थना इसकी घोषणा के लिए थी कि मौखिक वसीयत दिनांक 1.1.1995 को कथित रूप से माँ द्वारा की गई है जो कभी नहीं की गयी थी और उस राहत के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह से दिल्ली में विचारण न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ। विभाजन की अन्य राहतें और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित बिक्री की अविधिमान्यता की घोषणा सभी राहतें थीं जो केवल तभी चलेगी जब वसीयत की घोषणा के संबंध में राहत वादी को दी गई थी और परिणामस्वरूप, वे राहतें केवल परिणामी राहत मानी जाती है; भले ही धारा 16 (ए) और (डी) सी.पी.सी. लागू होती थी, यह एक ऐसा मामला था जिसके लिए संहिता की धारा 16 का परंतुक लागू किया गया, विशेष रूप से इस तथ्य के संदर्भ में कि कम से कम तीन प्रतिवादी निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में रह रहे थे, इसलिए, वाद पत्र को वापस करने का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर था।

प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि सार और सार रूप में, वाद पत्र गृडगांव के पटौदी गाँव में स्थित उन संपत्तियों का विभाजन के लिए था जो दिल्ली में न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जब ऐसा होता है, मुकदमा केवल उस न्यायालय में दायर किया जाना था जो विचाराधीन संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र रखता था और उच्च न्यायालय अभिनिर्धारित करने में सही था की संहिता धारा 16 (ख) और (घ) हस्तगत मामले पर राहतों के दावा की दृष्टि से पूरी तरह से लागू होती है, कि संहिता की धारा 16 के परन्तुक के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि यह एक ऐसा मामला नहीं था जहां डिक्री के लिए केवल व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के परिणामस्वरूप एक प्रभावी डिक्री होगी; कि संहिता की धारा 20 उस मामले में लागू नहीं नहीं होगी जहां धारा 16 पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि धारा 20 केवल एक अवशिष्ट प्रावधान था; और यह कि उच्च न्यायालय ने वाद को एक विशेष तरीके से समझा है और क्योंकि विभाजन के लिए एक प्रभावी डिक्री, जो कि वाद में दावा की गई मुख्य राहत है, विचाराधीन संपत्तियों पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा अधिक स्विधाजनक रूप से पारित की जा सकती है। और यह कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जहां इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया: 1.1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत वाद की वापसी, पर विचार के स्तर पर वाद और उसमें किए गए कथन जिस पर विचार किया जाना है। साथ ही, मुकदमें के पीछे के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए वाद पत्र को सार्थक तरीके से पढ़ना भी आवश्यक है। [पैरा 10] [43-सी]

मैसर्स मूलजी जयथा एंड कंपनी बनाम खानदेश कताई और बुनाई मिल कं. लिमिटेड, ए.आई.आर. [1950] संघीय न्यायालय 83; टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल और अन्य, [1978] 1 एस.सी.आर. 742; आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी और अन्य, [1969] 3 एस.सी.आर. 92 और हिरदय नाथ रॉय बनाम रामचंद्र बर्णा सरमा, आई.एल.आर. 48 कलकता 138 एफ.बी., पर भरोसा किया।

- 1.2. इस मामले में समग्र रूप से वाद पत्र को पढ़ने पर, बहुत संदेह नहीं हो सकता है कि मुकदमा अनिवार्य रूप से बंटवारे की राहत और ग्रुगांव के पटौदी गांव में दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित संपत्तियों के संबंध में घोषणा के संबंध में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दावा किया गया है कि एक कथित मौखिक वसीयत जिसे मृत माँ द्वारा दिल्ली में बनाया गया था और संभवतः प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा ये भरोसा किया गया था, की कभी नहीं बनाया गया था। लेकिन यह न्यायालय इस तरह की नकारात्मक घोषणा का दावा करने की आवश्यकता को समझने में विफल रहा है। आखिरकार, वादी विभाजन, खातों के प्रत्यर्पण और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रभावित अन्य संक्रमण को वादी के संगम के बिना एक दावे में मुकदमा कर सकता है कि वह भी मृत मां के उत्तराधिकारियों में से एक है। यदि इस तरह के मुकदमे में, प्रतिवादी वादी को विरासत से अलग रखते हुए किसी भी मौखिक वसीयत का प्रस्ताव करते हैं, तो इस तरह की मौखिक वसीयत बनाने और उसकी वैधता स्थापित करने का बोझ उन पर होगा। वादी द्वारा मांगी गई नकारात्मक घोषणा मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से अनावश्यक और गैर जरूरी प्रतीत होती है। [पैरा 11] [44-सी-ई]
- 1.3. यह वादी का मामला नहीं है कि दिल्ली में मौखिक वसीयत की गई थी। यह वादी का मामला है कि दिल्ली में कोई मौखिक वसीयत नहीं की गई थी। यह बहस

योग्य है कि क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कार्रवाई का कोई कारण दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। अभियोग के पढ़ने पर, निचली अदालत के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वास्तव में मुकदमा अचल संपित से संबंधित था यह दिल्ली में विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है और इसलिए वाद को एक ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसके पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह न्यायालय समग्र रूप से वाद के पठन पर विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा, वाद की उक्त समझ से सहमत होने के लिए इच्छुक है। [पैरा 11] [44-ई-जी]

1.4. समग्र रूप से वाद को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि ये एक मुकदमा है, जो संहिता की धारा 16 (बी) और (डी) के दायरे में आता है। विभाजन की राहत, लेखांकन और निष्पादित बिक्री की अविधिमान्यता की घोषणा गुड़गांव के पटौदी गाँव में स्थित अचल संपित के संदर्भ में मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा डिक्री के व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका। उसमें निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान वाद को संहिता की धारा 16 के परंतुक के दायरे में नहीं लाया जा सका या इस आधार पर कि संहिता की धारा 20 पर भरोसा करते हुए कि पाँच में से तीन प्रतिवादी दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए, निचली अदालत उचित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वादपत्र वादी को वापस करने में सही थी। [पैरा 12 और 13] [44-एच; 45-बी-डी]

हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड व अन्य [2005] 7 एस.सी.सी 791 पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय के क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1921/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय के 11.11.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से नई दिल्ली में एफ.ए.ओ. (ओएस) 2005 की सं. 363।

अपीलार्थी की ओर से: बहर वी. बरकी, मारूफ अहमद और गुडविल इंदीवर।

उत्तरदाताओं की ओर से रितिन राय, मीरा माथुर, बुज़ेफा अहमदी, तरुण सिंह,
डॉ. नफीस ए सिद्दीकी, दिनेश चंदर यादव, ए.एस. ऋषि और डॉ. कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

- पी. के. बालासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति
- 1. प्रार्थना मंजुर की गई ।
- 2. अपीलार्थी, जिसे इसके बाद वादी के रूप में संदर्भित किया गया है, नवाब इिफ्तखार अली खान और मेहर ताज साजिदा सुल्तान की बेटी है। प्रतिवादी 1 और 2, जो यहाँ उत्तरदाता 1 और 2 हैं, उसके भाई-बहन हैं। प्रतिवादी संख्या 3 उसकी भतीजी है, जो उसके भाई की बेटी है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 4 और 5 प्रतिवादी संख्या 2 से सम्नुदेशित किए गए हैं।
- 3. वादी ने सी. एस.(ओएस) 2004 की संख्या 495 मुकदमा मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किया:
- "(क) मौखिक वसीयत दिनांकित 1.1.1995 जो कथित रूप से बेगम मेहर ताज साजिदा सुल्तान द्वारा बनायी गयी थी कि कभी नहीं बनायी गयी घोषणा करने वाली डिक्री पारित करें, आगे बिक्री विलेख जो कि कथित रूप प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित किया को बातिल और शून्य घोषित करें;

- (ख) वादी के पक्ष में ऊपर उल्लिखित महामहिम मेहर ताज साजिदा सुल्तान द्वारा पीछे छोड़ गयी पटौदी, गुडगांव में स्थित 180 कनाल और 12 मोरला में से उसके हकदार हिस्से का, विभाजन की डिक्री इस्लामी व्यक्तिगत कानून को ध्यान में रखते हुए कुल संपित्तयाँ/संपदाएँ में से यानी 1/4;
- (ग) उपर्युक्त संपत्तियों में से जून, 2000 से वर्तमान वाद दाखिल होने तक आय के संबंध में लेखा प्रस्तुत करने की डिक्री पारित करें;
- (घ) वादी के संबंधित शेयरों के संबंध में प्रतिवादियों उनके कर्मचारी, सेवक जो भी उनकी ओर से काम करते हैं, को हस्तान्तरित कब्जे के साथ और/या किसी भी तरह से व्यवहार करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करें;
 - (ई) वाद की लागत के लिए एक आदेश पारित करें; और
- (च) कोई अन्य और आगे का आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित, न्यायसंगत और उचित समझे।"
- 4. अचल संपत्तियाँ जिन्हें विभाजित करने की मांग की गई थी और जिसके संबंध में अन्यसंक्रमण को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी, स्वीकृत रूप से हिरयाणा राज्य के गुडगांव के पटौदी गाँव में स्थित है, जो उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है जिसमें मुकदमा दायर किया गया था। वादपत्र में निम्नलिखित कथनों के आधार पर दिल्ली की अदालत में मुकदमा दायर किया गया थाः

"वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण 1.1.1995 को उत्पन्न हुआ जब कथित मौखिक वसीयत महारानी मेहर ताज बेगम साजिदा सुल्तान द्वारा नई दिल्ली में बनाई गई थी, वाद कारण 25.9.1995 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने एक बैठक का आयोजन किया। यह फिर से मार्च/अप्रैल में कहीं पैदा हुआ जब वादी को जानकारी मिली और 22.10.2002 को जब वादी ने कानूनी नोटिस जारी किया।

यह आगे 28.11.2002 और 30.11.2002 को पैदा हुआ जब नोटिसों का जवाब दिया गया था और वही अभी भी अस्तित्व में है।

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 दिल्ली में रहते हैं। वाद कारण दिल्ली में उत्पन्न हुआ, प्रतिवादियों के अनुसार मौखिक वसीयत दिल्ली में बनायी गयी, कब्जा से बेदखल करने की धमकी भी दिल्ली में दी गयी इसलिए इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान वाद को विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है।

5. प्रतिवादियों ने मुकदमे के अधिकार क्षेत्र पर आपित जताई, उन्होंने अभिवचन किया की वाद में मुख्य अनुतोष उन सम्पितयों के विभाजन के संबंध में है जो गुड़गांव में स्थित है, जो दिल्ली के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं और मांगी गई घोषणाएं भी उक्त संपितयों से संबंधित हैं और धारा 16(बी) और (डी) सिविल प्रक्रिया संहिता(संक्षिप्त में 'संहिता'), के प्रकाश में मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र संबंधित हरियाणा राज्य की अदालत के पास था और इसिलए वाद खारिज किए जाने योग्य था। उनकी ओर से, वाद पत्र के पैराग्राफ 3 (डी) में अंकित निम्नलिखित अभिकथन पर जोर दिया-

"वर्तमान मुकदमे को पटौदी, गुडगांव (हरियाणा), गाँव में स्थित माँ द्वारा पीछे छोड़ गयी और खरीदी गयी संपत्तियों तक सीमित किया जा रहा है। जहाँ तक अन्य बची सम्पत्तियों का प्रश्न है जो उनकी माँ, पिता या अन्य रिश्तेदारों द्वारा छोड़ी गयी हैं, वादी आवश्यकता पड़ने पर नियत समय में दावा करने के अपने मूल्यवान अधिकारों को सुरक्षित रख रही है।"

पैराग्राफ 3 (एच) में निर्धारित वाद संपत्तियों के विवरण पर भी भरोसा किया गया था।

- 6. वादी की ओर से, इस अपील का यह तर्क देते हुए विरोध किया गया कि माँ की कथित मौखिक वसीयत के संबंध में पहली घोषणा दिल्ली में स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुयी और इससे प्रार्थना का यह भाग दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह तर्क दिया गया कि वसीयत और उसके संबंध में मांगी गई घोषणा के संबंध वाद कारण पूरी तरह से दिल्ली में उत्पन्न हुआ दिल्ली और इसके अलावा भी प्रतिवादियों में से 3 दिल्ली में दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और किसी समय उक्त आधार पर तथा इस आधार पर कि वादकारण का एक हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न हुआ, संहिता की धारा 20 की शर्तों के अधीन दिल्ली की अदालत में मुकदमा चल सकता है।
- 7. विद्वान एक न्यायाधीश, विचारण न्यायाधीश, वाद पत्र के पढ़ने पर इस नतीजे पर पहुंचे है कि जो अनुतोष मांग गए हैं, वे संहिता की धारा 16 (बी) और (डी) के तहत आते हैं और धारा 16 का परंतुक लागू नहीं होता है। धारा 20 का सहारा नहीं लिया जा सका, क्योंकि धारा 16 लागू होती थी और धारा 20 केवल तभी लागू होती थी जब धारा 16 लागू नहीं होती। इस तर्क को खारिज करते हुए कि घोषणा संबंधी अनुतोष के पहले भाग का दावा दिल्ली की अदालत में सही किया गया था, उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त घोषणा भी दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर पटौदी गांव में स्थित संपत्तियों के संबंध में थी और इसलिए दिल्ली की अदालत के पास उक्त वाद का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। विचारण न्यायाधीश ने वादी को वाद पत्र अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में पेश करने के लिए लौटाने का निर्देश दिया। संहिता के आदेश VII के नियम 10 ए की शर्तों के तहत आदेश पारित करने के लिए विटा गए प्रस्ताव को वादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार वाद वादी को उचित न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाया गया था।

- 8. वादी ने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। खंड पीठ ने संहिता की धारा 16 और प्रश्न के प्रति विचारण न्यायाधीश को स्वीकार करते हुए, विचारण न्यायाधीश के मत से सहमत होते हुए अपील को खारिज की। खंडपीठ ने दोहराया कि वाद अनिवार्य रूप से और सार रूप में विभाजन के लिए था और वह सम्पत्ति विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर थी। कथित मौखिक वसीयत जिसको दिल्ली में अस्तित्व में लाया गया था, जिसके संबंध में अभिवाक् करके वाद दायर करने में सरलता प्रदर्शित करके मुकदम को विचारण न्यायालय के क्षेत्र में नहीं लाया जा सका था। वाद की जांच उसमें मांग गयी वास्तविक राहत के लए की जानी थी और इसलिए देखा गया कि विचारण न्यायाधीश उचित न्यायालय में पेश करने के लिए वाद को वापस करने में सही था। खंडपीठ के इस निर्णय को हमारे समक्ष च्नौती दी गई है।
- 9. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वाद में सारवान प्रार्थना मौखिक वसीयत दिनांक 01.01.1995 जो कि कथित तौर पर मां साजिदा सुल्तान द्वारा की गई थी जो कि कभी नहीं की गयी थी जिसके संबंध में घोषणा के लिए थी और उक्त प्रार्थना के लिए पूरी तरह से वादकारण दिल्ली में विचारण अदालत की अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभाजन, लेखांकन और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित बिक्री की अविविधिमान्यता की घोषणा के संबंध में अन्य राहते केवल तभी चलेगी जब केवल वादी को वसीयत की घोषणा की राहत दी जाएगी और परिणामस्वरूप, ये राहतें केवल परिणामी राहत मानी जाएगी। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि भले ही संहिता की धारा 16 (ए) और (बी) के प्रावधान लागू होती थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें संहिता की धारा 16 का परंतुक लागू होता था, विशेष रूप से इस तथ्य के संदर्भ में कि प्रतिवादियों में से तीन विचारण के क्षेत्राधिकार के भीतर निवास कर रहे थे। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि वाद को वापस करने का निर्णय

कानूनी रूप से अस्थिर था। दूसरी तरफ, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सार और सारवान रूप में वाद उन संपत्तियों के विभाजन के लिए था जो गांव पटौदी गुड़गांव में दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है और जब ऐसा है तो मुकदमा केवल उस अदालत में दायर किया जाना था जो प्रश्नगत संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र रखती है और उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि संहिता की धारा 16 (बी) और (डी) मांग की गई राहतों के आलोक में मामले पर पूरी तरह से लागू होती है। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 16 के प्रावधान का परन्तु नहीं होता था, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं था जहां केवल डिक्री के प्रति व्यक्तिगत आज्ञाकारिता डिक्री को प्रभावशील बना दे। उन्होंने आगे बताया कि संहिता की धारा 20 का उस मामले में लागू नहीं होती है जहां धारा 16 पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि धारा २० केवल एक अवशिष्ट प्रावधान था। उन्होने अन्ततः प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने वाद को एक विशेष तरीके से समझा है और विभाजन के लिए एक प्रभावशाली डिक्री जिसके लिए वाद में मुख्य राहत मांगी गयी थी, प्रश्नगत सम्पत्तियों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय द्वारा अधिक स्विधानजक तरीके से पारित की जा सकती थी।भारतीय संविधान के अन्च्छेद 136 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था, क्योंकि यह मानते हुए कि इस न्यायालय ने इस तर्क में कुछ गुण देखा कि प्रार्थना (क) का पहला भाग दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र में आयेगा। वाद का दिल्ली में विचारण करना मुसीबतें पैदा करेगा तथा कार्यवाही को लम्बा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए पारित किये गए आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता के आदेश 7 नियम 10 के तहत वाद पत्र को लौटाने की स्टेज पर विचार करते समय वाद पत्र औार उसमें दिये गए कथन पर विचार किया जाना है। वाद के पीछे वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए उसी

समय यह भी आवश्यक है कि वाद को सार्थक तरीके से पढ़ा जावे। मैसर्स मूलजी जयथा एंड कंपनी बनाम द खानदेश कताई और बुनाई मिल्स कम्पनी लिमिटेड, ए. आई. आर. (1950) फेडरल कोर्ट 83, संघीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि

"वाद को समग्र रूप से पढ़कर वाद की प्रकृति और उसके उद्येश्य को निर्धारित करना होगा।"

आगे निर्धारित किया कि

"वाद की वास्तविक प्रकृति का निर्णायक प्रार्थना का समावेश या उसकी अनुपस्थित नहीं है और न ही वह क्रम है जिसमें प्रार्थनाएं की गयी हैं। वाद का सार या उचेश्य का निष्कर्ष वाद में किये गए अभिकथनों से और प्रार्थना में जो राहतें मांगी गयी है उनसे निकाला जा सकें।"

आगे यह निर्धारित किया गया कि

"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अभिवचन का कार्य केवल महत्वपूर्ण तथ्य बताना है और उन तथ्यों का कानूनी परिणाम और परिणाम अनुसार राहतों को ढालना न्यायालय को देखना है।"

इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा टी. अरिवंदाअंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल व अन्य [1978] 1 एस.सी.आर. 742 में यह कहते हुए कि जो कहा गया था वह वाद का एक सार्थक-औपचारिक नहीं-पठन और कोई भी भ्रम वाद की मसौदा की चातुर्यता से पैदा हुआ वहाँ दफन किया जाना चाहिए। आधिकारिक न्यासी, पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी और अन्य [1969] 3 एस.सी.आर. 92, इस न्यायालय के मुखर्जी कार्यवाहक, मुख्य न्यायमूर्ति, द्वारा उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए न्यायिक दृष्टांत हृदय नाथ राय बनाम रामचंद्र बर्ना शर्मा, [आई.एल.आर. 48] कलकता 138 एफ.बी.] में अभिनिर्धारित किया है कि

"किसी न्यायालय को किसी विशेष मामले में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, जबिक मामले में उसे न केवल लाए गए मुकदमे का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, बल्कि जिन आदेशों की मांग की गई है, उन्हें पारित करने का अधिकार भी होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि उसको वाद की विषय-वस्तु के संबंध में कुछ क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसके अधिकार क्षेत्र में उस प्रश्न पर सुनवाई और निर्णय लेने की शिक्त शामिल होनी चाहिए जो पक्षकारों के बीच विशेष विवाद के कारण उत्पन्न हुआ है।"

11. इस मामले में वाद को समग्र रूप से पढ़ने पर, बह्त संदेह नहीं हो सकता है कि वाद आवश्यक रूप से विभाजन और गांव पटौदी गृडगांव में दिल्ली की अदालत के क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित सम्पतियों के संबंध में घोषणा की राहत के संबंध में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाद में यह अभिकथन किया गया है कि एक कथित मौखिक वसीयत दिल्ली में मृत मां द्वारा बनायी गयी थी और संभवतः प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा उस पर भरोसा किया गया था जबकि वह कभी नहीं बनायी गयी थी। लेकिन हमारी ओर से, हम इस तरह की नकारात्मक घोषणा का दावा करने की आवश्यकता को समझने में विफल हैं। आखिरकार, वादी विभाजन, खातों को प्रस्तुत करने और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रभावित अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने के लिए यह दावा करते हुए वाद कर सकता था कि वादी भी मृत माता का एक विधिक उत्तराधिकारियों में से है। यदि इस तरह के मुकदमे में प्रतिवादी प्रस्ताव करते है कि वादी को विरासत से बाहर रखने के रूप में कोई भी मौखिक वसीयत है तो ऐसी मौखिक वसीयत बनाने और उसकी वैधता स्थापित करने का बोझ उन पर होगा। वादी द्वारा मांगी गई नकारात्मक घोषणा हमें पूरी तरह से मामले की परिस्थितियों में अनावश्यक और अनावश्यक प्रतीत होती है। यह ध्यान दिया कि यह वादी का मामला नहीं है कि दिल्ली में मौखिक वसीयत की गई थी। यह वादी का मामला है कि दिल्ली

में कोई मौखिक वसीयत नहीं की गई थी। यह बहस योग्य है कि क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कोई वाद कारण दिल्ली के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अभियोग के पढ़ने पर, विचारण न्यायाधीश और खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सार यह है कि मुकदमा दिल्ली में निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित अचल संपत्ति से संबंधित था और इसलिए वाद को एक ऐसी अदालत में प्रस्तुत किया गया था जिसे मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हम वाद के समग्र रूप से पठन पर विचारण न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा वाद की उक्त समझ से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं।

12. वाद को समग्र रूप से को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है जैसा कि हमने संकेत दिया है कि एक ऐसा वाद है जो संहिता की धारा 16 (बी) और (डी) के दायरे में आता है। यदि कोई मुकदमा संहिता की धारा 16 के अंतर्गत आता है,यह इस न्यायालय द्वारा हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और अन्य, [2005] 7 एस.सी.सी. 791 में अभिनिधीरित किया गया कि धारा 20 के इन प्रारंभिक शब्दों को ध्यान में रखते हुए कि "उपरोक्त सीमाओं के अधीन" संहिता की धारा 20 लागू नहीं हो सकती है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिधीरित किया है कि धारा 16 का परन्तुक केवल तभी लागू होगा जब मांगी गई राहत पूरी तरह से प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से प्राप्त की जा सकती है। गुडगांव के पटौदी गाँव में स्थित अचल संपित के संबंध में किए गए विभाजन, लेखांकन और बिक्री की अविधिमान्यता की घोषणा की राहत प्रतिवादीगण की पूरी तरह से व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से इस वाद में प्राप्त नहीं की जा सकी। उपरोक्त निर्णय में व्यक्त किये गए विचार से हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं। उसमें निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान वाद को निम्नलिखित के दायरे में नहीं लाया जा सका कि संहिता की धारा 16 के परंतुक या

संहिता की धारा 20 पर इस आधार पर विश्वास करते हुए कि पांच में से तीन प्रतिवादी दिल्ली में अदालत के क्षेत्राधिकार में रह रहे हैं।

13. इस प्रकार, कुल मिलाकर, हम संतुष्ट हैं कि निचली अदालत उचित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वादी को वाद पत्र वापस करने में सही थी। इसलिए हम वादपत्र को वापस करने के आदेश की पृष्टि करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं। परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं। एस.के.एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हनुमान सहाय जाट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।